26-08.25 पत्रावली पेश हुई। वादीगण व
वादीगण अधिवक्ता उपस्थित नहीं।
प्रार्थीगण व प्रार्थीगण अधिवक्ता को
तीन बार आवाज लगायी गयी परन्तु
उपस्थित नहीं। अतः प्रार्थीगण का
प्रार्थनापत्र प्रार्थीगण की अदम हाजरी
व प्रार्थीगण अधिवक्ता की अदम पैरवी
मे खारिज किया जाता है। प्रकरण
फैसल शुमार होकर नम्बर से गुम हो

उपखण्ड अधिकारी
भीलवाड़ा

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा

गोपाल लाल पिता उदा गाडरी निवासी रिछडा तहसील व जिला भीलवाडा।

— प्रार्थी

बनाम

1. रामचन्द्र पिता किशन गाडरी निवासी रिछडा तहसील व जिला भीलवाडा।
2. नारायण पिता श्री किशन गाडरी निवासी रिछडा तहसील व जिला भीलवाडा।
3. प्रेम पुत्री श्री किशन गाडरी निवासी रिछडा तहसील व जिला भीलवाडा।
4. मुली पुत्री श्री किशन गाडरी निवासी रिछडा तहसील व जिला भीलवाडा।
5. शांती पुत्री श्री किशन गाडरी निवासी रिछडा तहसील व जिला भीलवाडा।
6. श्रीमति देउ पत्नि श्री किशन गाडरी निवासी रिछडा तहसील व जिला भीलवाडा।
7. बरजी पत्नि पेमा गाडरी निवासी रिछडा तहसील व जिला भीलवाडा।
8. राजु पिता मिठुलाल गाडरी निवासी रिछडा तहसील व जिला भीलवाडा।
9. लादु लाल पिता उगमा गाडरी निवासी रिछडा तहसील व जिला भीलवाडा।
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार भीलवाडा।
11. उपपंजीयक भीलवाडा।

— विपक्षीगण

किस्म मुकदमा 212 नं0......2/2017......सन् 2017

दिनांक	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
.01.2017	प्रकरण प्रस्तुत हुआ पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जाकर पेश। वकील वादी उपस्थित वकील वादी की बहस सुनी गई कि सरहद ग्राम रिछडा पटवार हल्का दरीबा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र भीलवाडा, तहसील व जिला भीलवाडा की खतौनी नम्बर नये 518, पुराने 496 में आराजी संख्या 1981 रकबा 16–19 बीघा, आराजी संख्या 1982 रकबा 02–04 बीघा, भूमि स्थित है। जिसमें प्रार्थी और विपक्षी संख्या 01 लगायत 05 के नाम दर्ज है। जिसमें प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 01 से लगायत 05 का 1/2 हक हिस्सा निहित है। विपक्षीगण उक्त खाते की भूमि पर जबरन शक्ति के बल पर प्रार्थी को बेदखल करना चाहते है, व खुर्दबुर्द करने पर आमादा है। इसलिये विपक्षीगण को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे, कि वह मौके पर एवं रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबंद करावें। मैनें प्रस्तुत प्रकरण का अवलोकन किया व वकील प्रार्थी की बहस पर मनन किया गया। प्रथम दृष्टया सुविधा संतुलन प्रार्थीया के पक्ष का है। अगर प्रार्थी को अपने खातेदारी हक अधिकार की भूमि से विपक्षी संख्या 01 से लगायत 09 द्वारा बेदखल कर दिया गया तो प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी। अतः आदेश दिया जाता है सरहद ग्राम रिछडा पटवार हल्का व भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाडा में स्थित आराजी संख्या 1981 रकबा 16–19 बीघा, आराजी संख्या 1982 रकबा 02–04 बीघा, भूमि पर मोके व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने हेतु दिनांक 6–2–2017 तक अस्थाई निषेधाज्ञा तक जारी की जाती है । प्रतिवादीगण को पाबन्द किया जाता है कि मोके एवं रेकार्ड की यथस्थिति बनाये रखे । पत्रावली दिनांक 6–2–2017 को पेश हो। उपखण्ड अधिकारी उपखण्ड अधिकारी भीलवाडा	
6.2.17	पत्रावली पेश उपयुक्त उपस्थित/पीठासीन अधिकार जी अवकाश पर है। पत्रावली दिनांक 5.6.17 को पेश हो। आदेश से रीडर	